27/11/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी अनुपस्थित। वकील वादिया की ओर से शिकायत 144/4 के अन्तर्गत दी गई थी। इसके बाद बार-बार वकील वादी को बयानात दर्ज करने हेतु आवाज कराया गया बावजूद वादिया की ओर से बयानात वकील वादी ने पेश नहीं किया गया। वादिया की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। वाद में बार बार कई कई कर न्यायालय समय में उपस्थित लाया सम्मानित तक आवाज लगवाई गई। बावजूद वकील वादीगण एवं वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादीगण का वाद अग्रिम हाजरी अनुक पेशी में खारिज किया जाता है पत्रावली वाद नामा से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
जयपुर शहर प्रथम